न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – दिवांशु शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 55/2019 (वाद)
दायर दिनांकः– 17/11/2019
निर्णय दिनांकः– 03/03/2020

अनवान

1. केसरबाई पिता गणेशलाल पति उदयलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
2. नानीबाई पिता गणेशलाल पति राजकुमार ब्राहम्ण नि0–जुणदा तह0 रेलमगरा
3. रोडीबाई बेवा गणेशलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता गणेशलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
2. कालुराम पिता मोहन ब्राहम्ण नि0 हाल गुजरिया खेडा मजरा जुणदा तह0–रेलमगरा
3. डिम्पल पिता भैरूलाल पति पप्पुलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा हाल पनोतिया तह0–रायपुर जिला भीलवाडा
4. कन्हैयालाल पिता भैरूलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
5. नारायणलाल पिता भैरूलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
6. रविशंकर पिता भैरूलाल ब्राहम्ण नाबालिग बविलायत माता पुष्पादेवी पत्नि भैरूलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
7. पुष्पादेवी पत्नि भैरूलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
8. मगनीबाई पति मोहनलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा, राजस्व रेकार्ड में अंकन बाबत्।

: : निर्णय : :

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन के प्रस्तुत किया कि ग्राम जूणदा में वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 08 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 853, 2548, 2811, 2812, 3085, 3086, 3087, 3095, 3098, 3099, 3100 कुल किता–11 कुल रकबा 29–11 बीघा भूमि स्थित है। वादपत्र संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात पूर्व में वादीयॉगण व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता स्वर्गीय श्री गणेशलाल व प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 08 के पूर्वज मोहनलाल के नाम पर समान हक, अधिकार अर्थात् 1/2–1/2 हक से राजस्व रेकार्ड में अंकित थी। नकल जमाबन्दी संवत् 2046–47 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी साथ संलग्न है। साथ ही वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति भी साथ संलग्न है। वादीयॉगण के पिता व वादी संख्या 03 के पति स्व. गणेशलाल की मृत्यु आज से करीब 27 वर्ष पूर्व हो चुकी थी तथा उनकी मृत्यु पश्चात् विरासती नामान्तरकरण तत्कालीन पटवारी हल्का जूणदा द्वारा वादीयागण के नाम पर नही करते हुए मात्र एक मात्र पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर ही उक्त गणेशलाल का हिस्सा निर्णित कर दिया जबकि वादीयॉगण इस विश्वास में थी कि पिता की मृत्यु पश्चात् भूमियॉ उनके नाम पर भी अंकित हो चुकी होगी क्योंकि वादीयॉ

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्या 01, 02 स्वर्गीय श्री गणेशलाल जी जायन्दा पुत्रियॉ है तथा वादीयॉ संख्या 03 स्वर्गीय श्री गणेशलाल की पत्नि है तथा प्रतिवादी संख्या 01 गणेशलाल का पुत्र है जिससे गणेशलाल की सम्पत्ति में वादीयॉगण का समान अधिकार कानूनन है। स्वर्गीय मोहनलाल की भी मृत्यु हो चुकी है व जमाबन्दी में उनके वारिसान का नाम अंकित है जो प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 08 है। वादीयॉगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु होकर हिन्दु विधि से शासित होते है तथा हिन्दु उत्तराधिकार की धारा 08 के अनुसार स्वर्गीय श्री गणेशलाल की सम्पत्ति में वादीयॉगण का एवं प्रतिवादी संख्या 01 का समान हक, अधिकार अर्थात् वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में वादीयॉगण प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/8 हिस्सा बनता है जिसे प्राप्त करने की वादीयॉगण हक, अधिकारिणी है। तत्कालिन पटवारी हल्का जूणदा द्वारा मन–मकसूद तरीके से गणेशलाल की मृत्यु पश्चात् वारिसान की बिना जांच किये मात्र प्रतिवादी संख्या 01 के नाम ही उक्त नामान्तरकरण निर्णित कर दिया तथा यही ही नही नामान्तरकरण संख्या 780 निर्णित करने के पश्चात् जमाबन्दी में भी उसका अमल दरामद कर दिया गया क्योंकि प्रतिवादी सख्या 01 वादीयॉगण के पिता की मृत्यु के समय काफि छोटा था तथा वादीयॉगण विश्वास में थी कि पिता की मृत्यु पश्चात् भाई के साथ उनका नाम भी राजस्व रेकार्ड में अंकित हो चुका होगा परन्तु अभी आज से करीबन एक माह पूर्व जब वादीयॉ संख्या 01 ने अपने पिता की जमाबन्दी पटवारी पटवार मण्डल जूणदा में जाकर अपने नाम की खाते की नकल के लिये कहा तो पटवारी ने रेकार्ड देखकर बताया कि तुम्हारे नाम की कोई जमाबन्दी नही है इस पर वादीयॉगण ने अपने पिता के नाम की जमाबन्दी हेतु आवेदन तहसील कार्यालय रेलमगरा में प्रस्तुत किया परन्तु गांव जूणदा की नकले उप तहसील कार्यालय गिलुण्ड में चली जाने की वजह से उप तहसील कार्यालय गिलुण्ड में जाकर पिता के नाम की जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उसी जमाबन्दी में पता चला कि उक्त भूमियां स्वर्गीय गणेशलाल के बजाय उनके भाई प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर ही अंकित कर दी गई तब उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 780 व जमाबन्दी की नकल उप तहसील कार्यालय गिलुण्ड से प्राप्त की वर्तमान जमाबन्दी भी पटवारी हल्का से प्राप्त की गई तथा प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 को वादीयॉगण का प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा उनके नाम पर कराने हेतु कहा गया तो प्रतिवादी संख्या 01 ने मना कर दिया जिससे विवश होकर वादीयॉगण को उक्त वाद न्यायालय आप में प्रस्तुत करना पड रहा है। वादीयॉगण स्वर्गीय गणेशलाल की जायन्दा पुत्रियॉ व पत्नि है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्रियों व पत्नि को पुत्र के समान हक, अधिकार कानूनन बनता है परन्तु पटवारी हल्का ने बिना जांच किये मन मकसुद तरीके से मात्र प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर ही नामान्तरकरण निर्णित कर स्वर्गीय गणेशलाल का हिस्सा स्थानान्तरित कर देने से एवं उसमें वादीयॉगण का नाम अंकित नही करने से अब मजबुर होकर वादीयॉगण को स्वर्गीय गणेशलाल की सम्पत्तियों में अपना हक व हिस्सा घोषित करानें हेतु अब मजबुर होकर उक्त घोषणा का वाद न्यायालय आप में प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 08 उपरोक्त वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात में 1/2 हिस्से के खातेदार होने से किसी भी कानूनी आपत्तिवश उन्हे पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनसे किसी प्रकार की दाद नही चाही जा रही है। प्रतिवादी संख्या 09 भूमिधारक होने से उन्हे आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकारा बनाया गया है अन्यथा उनसे किसी भी प्रकार की दाद नही चाही जा रही है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात में वादीयॉगण व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा घोषित कराया जाने बाबत् वादीयॉगण की ओर से मजबुर होकर उक्त वादपत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत करना पड रहा है। वाद हेतु आज से एक माह पूर्व उत्पन्न होकर अंतिम बार आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 की वादीयॉगण का हिस्सा उनके नाम कराने हेतु कहा गया तो उनके द्वारा मना करने से उत्पन्न होकर निरन्तर

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

जारी है। अतः प्रार्थना है कि वादीयॉगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात में वादीयॉगण व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/8–1/8 हिस्सा की घोषणा की डिक्री प्रचलित फरमायी जाकर उस अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन कराये जाने की डिक्री प्रचलित फरमायी जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जरिये अधिवक्ता स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया तथा वादीयॉगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 09 के विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

प्रकरण में स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत हुआ है तथा सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 12 में भी स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत होने की स्थिति में दावा में अन्य कोई बिना जांच किये उचित आदेश पारित किये जाने का प्रावधान निहीत किया हुआ है। जिससे उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड को अवलोकन करने पर जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि वादीयॉगण की पैतृक सम्पत्ति है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पैतृक सम्पत्ति में समस्त वारिसान का समान हक, अधिकार निहीत कर रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने भी वादपत्र का स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया है।

अतः वादी का वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन का स्वीकार किया जाकर ग्राम जूणदा की आराजी संख्या 853, 2548, 2811, 2812, 3085, 3086, 3087, 3095, 3098, 3099, 3100 कुल किता–11 कुल रकबा 29–11 बीघा भूमि में वादीयॉगण व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– दिव्यांशु शर्मा आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :–55 / 2019

अनवान

वादी पक्ष :–

1 केसरबाई पिता गणेशलाल पति उदयलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
2 नानीबाई पिता गणेशलाल पति राजकुमार ब्राहम्ण नि0–जुणदा तह0 रेलमगरा
3 रोडीबाई बेवा गणेशलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1 किशनलाल पिता गणेशलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
2 कालुराम पिता मोहन ब्राहम्ण नि0 हाल गुजरिया खेडा मजरा जुणदा तह0–रेलमगरा
3 डिम्पल पिता भैरूलाल पति पप्पुलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा हाल पनोतिया तह0–रायपुर जिला भीलवाडा
4 कन्हैयालाल पिता भैरूलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
5 नारायणलाल पिता भैरूलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
6 रविशंकर पिता भैरूलाल ब्राहम्ण नाबालिग बविलायत माता पुष्पादेवी पत्नि भैरूलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
7 पुष्पादेवी पत्नि भैरूलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
8 मगनीबाई पति मोहनलाल ब्राहम्ण नि0– जूणदा तह0 रेलमगरा
9 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

दावा :– वाद बाबत् घोषणा,

वादी की ओर से :–r.k.सनाढ्य

प्रतिवादी की ओर से :–

में इस आशय मे दिनांक 03 / 03 / 2020 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन का स्वीकार किया जाकर ग्राम जूणदा की आराजी संख्या 853, 2548, 2811, 2812, 3085, 3086, 3087, 3095, 3098, 3099, 3100 कुल किता–11 कुल रकबा 29–11 बीघा भूमि में वादीयॉगण व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 03 / 03 / 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(दिवांशु शर्मी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)